

खान मंत्रालय
मांग संख्या 11
खान मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	196.73	280.00	476.73	172.73	252.77	425.50	179.73	220.98	400.71	
पूंजी	42.27	30.00	72.27	42.27	30.00	72.27	41.15	...	41.15	
जोड़	239.00	310.00	549.00	215.00	282.77	497.77	220.88	220.98	441.86	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	8.17	8.17	...	7.86	7.86	...	8.21	8.21
अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग										
2. भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण	2853	145.79	189.00	334.79	121.16	187.22	308.38	131.84	192.93	324.77
	4853	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़	145.80	189.00	334.80	121.17	187.22	308.39	131.85	192.93	324.78	
3. खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड को अनुदान	2853	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	11.00	...	11.00
4. भारतीय खान ब्यूरो	2853	18.14	15.00	33.14	18.77	14.86	33.63	16.54	15.43	31.97
	4853	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.11	...	0.11
जोड़	18.15	15.00	33.15	18.78	14.86	33.64	16.65	15.43	32.08	
5. भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड को अनुदान	2853	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	1.54	1.54
6. हिन्दुस्तान कापर लि. को अनुदान	2853	...	60.00	60.00	...	35.00	35.00	...	0.01	0.01
7. अन्य कार्यक्रम	2853	5.00	2.83	7.83	5.00	2.83	7.83	3.88	2.86	6.74
जोड़ - अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग		178.95	271.83	450.78	154.95	244.91	399.86	163.38	212.77	376.15
8. खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड को आयोजना-भिन्न उधार	6853	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	17.80	...	17.80	17.80	...	17.80	16.47	...	16.47
	4552	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.03	...	0.03
जोड़	18.05	...	18.05	18.05	...	18.05	16.50	...	16.50	
10. सरकारी उद्यमों में निवेश	4853	42.00	...	42.00	42.00	...	42.00	41.00	...	41.00
कुल जोड़		239.00	310.00	549.00	215.00	282.77	497.77	220.88	220.98	441.86
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
10.01 हिन्दुस्तान कॉपर लि.	12853	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00
10.02 नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड	12853	...	310.00	310.00	...	172.00	172.00	...	450.71	450.71
10.03 खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड	12853	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	1.00	4.00	5.00
10.04 अन्य निकाय/संस्थाएं	12853	...	3.55	3.55	...	3.55	3.55	...	3.55	3.55
जोड़		42.00	313.55	355.55	42.00	175.55	217.55	41.00	458.26	499.26
ग. आयोजना परिव्यय*										
1. अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	12853	226.95	313.55	540.50	202.45	175.55	378.00	210.38	458.26	668.64
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	18.05	...	18.05	18.05	...	18.05	16.50	...	16.50
जोड़		245.00	313.55	558.55	220.50	175.55	396.05	226.88	458.26	685.14
* शहरी विकास मंत्रालय की मांगों में प्रदत्त निर्माण कार्य परिव्यय सहित।										
मांग संख्या 100	12853	1.10	...	1.10	1.10	...	1.10	1.10	...	1.10
मांग संख्या 101	12853	4.90	...	4.90	4.40	...	4.40	4.90	...	4.90
जोड़		6.00	...	6.00	5.50	...	5.50	6.00	...	6.00

1. **सचिवालय:** इसमें अन्तर्गत मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।
2. **भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण:** इसके अन्तर्गत भूगर्भीय मानचित्रण और अपतटीय क्षेत्रों सहित देश के क्षेत्रीय खनिज के मूल्यांकन के लिए व्यवस्था है और इसमें उपग्रह प्रतिबिम्ब और वायुवाहित सर्वेक्षण के जरिए सुदूर संवेदन की आवश्यकताएं भी शामिल हैं।
3. **खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड को अनुदान:** संवर्धनात्मक आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निगम को सौंपी गई अन्वेषण परियोजनाओं का वित्तपोषण सरकार द्वारा किया जाता है।
4. **भारतीय खान ब्यूरो:** इसके अन्तर्गत किए गए प्रावधान में खानों के अध्ययन और निरीक्षण तथा अनुसंधान के लिए भारतीय खान ब्यूरो की आवश्यकताओं और (i) निम्न श्रेणी के अयस्कों और खनिजों के उपकारक और (ii) खनिज संसाधनों के संरक्षण और वैज्ञानिक विकास को बढ़ाने के दृष्टिगत विशेष खनन समस्याओं के लिए व्यवस्था शामिल है।
5. **भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड:** यह प्रावधान अनिवार्य सेवाओं के अनुरक्षण पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए है।
6. **हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड:** यह सांकेतिक प्रावधान जनशक्ति को अलग करने के लिए धनराशि की आवश्यकता की प्रत्याशा में रखा गया है।
7. **अन्य कार्यक्रम:** इनमें विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं और राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार आदि के लिए विभिन्न स्वायत्तशासी और वैज्ञानिक निकायों को सहायता-अनुदान के लिए प्रावधान शामिल है।
9. **सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ-हेतु परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान:** वर्ष के दौरान निधियों को इस प्रावधान से सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लाभ के लिए भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण तथा भारतीय खान ब्यूरो के अन्तर्गत चल रही सम्बन्धित स्कीमों में पुनर्विनियोजित किया जायेगा।
10. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश:** यह सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उनकी नई और चालू स्कीमों, प्रतिस्थापन और नवीकरण तथा अनुसंधान और विकास पर पूंजी व्यय की पूर्ति के लिए इक्विटी की व्यवस्था करता है।